

कैम्प दाखिल खारिज वाद सं. 355

कार्यालय अंचलाधिकारी

(पटना)

आज दिनांक 29.6.13 को ग्राम राजमपुर में आयोजित कैम्प में

श्री जगदेव सिंह वलद चौदी सिंह

वलद

ग्राम सिरामपुर थाना चौखी जिला शारदा ने

वसीका नं. 92 दिनांक 4-1-1984 के द्वारा निम्नांकित जमीन का

दाखिल खारिज के लिए अनुरोध किया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं.	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान
नौरतनपुर-7-	123-	164-	0-13-	2-00	

29/06/13

कैम्प में उपस्थित राजस्व/कर्मचारी पर अंचल निरीक्षक से जांच करायी गयी! जाँच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। उनलोगों ने आवेदक के नाम से दाखिल खारिज करने की अनुशंसा किए हैं। कैम्प में उपस्थिति व्यक्तियों को नामान्तरण की दशा में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक की अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज किया जाता है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति

MS

अंचलाधिकारी, पटना

प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 29/6/13

MS

अंचलाधिकारी, पटना